श्री सुधीर कुमार, भा.प्र.से. आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ द्वारा दिनांक–11.01.2016 को अनुमंडल कार्यालय, किशनगंज एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता कार्यालय, किशनगंज का किये गए निरीक्षण का निरीक्षण टिप्पणी :–

अनुमंडल कार्यालय, किशनगंज

1. परिचय :–

इस अनुमंडल का क्षेत्रफल 1938.4 वर्ग किलो मीटर है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार इस अनुमंडल की जनसंख्या 1690948 है। जिसमें पुरूषों की संख्या 868845 तथा महिलाओं की संख्या 822103 है।

इस अनुमंडल में 07 (सात) प्रखंड एवं 07 (सात) अंचल कार्यालय अवस्थित है। किशनगंज जिला का सृजन दिनांक 14.01.1990 को हुआ है। यह अनुमंडल किशनगंज जिला का एक मात्र अनुमंडल है। यह सीमावर्ती अनुमंडल है, जिसके उत्तर में नेपाल, दक्षिण एवं पूरब में पं0 बंगाल तथा पश्चिम में अररिया एवं पूर्णियाँ जिला है। इस अनुमंडल का क्षेत्रफल 736 वर्गमील, राजस्व ग्रामों की संख्या 803, जिसमें बेचिरागी ग्रामों की संख्या 59 है। पंचायतों की संख्या 126 एवं हल्कों की संख्या 69 है। इस अनुमंडल में 01 नगर परिषद एवं 02 नगर पंचायत अवस्थित है। किशनगंज जिला का साक्षरता प्रतिशत 55.46: है। जिसमें पुरूषों की साक्षरता 63.66 प्रतिशत एवं महिलाओं की साक्षरता 46.76 प्रतिशत है।

किशनगंज अनुमंडल 1924 ई0 में बना है। निरीक्षण संलख में दिया गया परिचय अधूरा है। इसमें थानों की सं0, ग्रामों की संख्या, राजस्व ग्रामों की संख्या, विद्यालयों की संख्या आदि अंकित नहीं किया गया है । साथ ही कुल सरकारी भूमि, कुल कृषि भूमि, गैर–मजरूआ आम एवं गैर–मजरूआ खास भूमि आदि की पूर्ण विवरणी अंकित नहीं है।

अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज को निदेश दिया गया कि उपर्युक्त सूचनाओं के साथ अनुमंडल की साक्षरता दर, कुल गैरमजरूआ आम/खास भूमि, भूदान भूमि, वितरित भूमि, लाभान्वितों की सं0 आदि संधारित कराई जाय।

2. **पूर्व निरीक्षण** :– वर्ष 1990 में नवसृजित जिला के बाद अनुमंडल सामान्य प्रशाखा का निरीक्षण निम्नलिखित पदाधिकारियों द्वारा किया गया है :–

क्रमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का नाम एवं पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्ति की तिथि	अनुपालन की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री जगदीश प्रसाद महतो, कार्यालय अधीक्षक, किशनगंज।	29.09.1994	07.10.1994	08.12.1994
2	श्री ए0 के0 सरकार भा0प्र0से0 आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	12.12.1995	05.01.1996	19.08.1996
3	श्री सुधीर कुमार घोष, प्रभारी कार्यालय अधीक्षक, किशनगंज।	21.02.1996	19.03.1996	---
4	श्री कुमार ब्रज किशोर सहनी, अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज।	01.12.2000	07.12.2000	16.01.2001
5	श्री शशि भूषण तिवारी, अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज।	05.08.2006	10.08.2006	18.08.2006
6	श्री आर0के0 खंडेलवाल भा0प्र0से0 आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।	21.11.2006	25.12.2006	24.08.2007
7	श्री सियाराम सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज।	23.07.2010	31.07.2010	07.07.2011
8	श्री सियाराम सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज।	13.12.2010	15.12.2010	07.07.2011
9	श्री सदानन्द शर्मा, कार्यालय अधीक्षक, (सामान्य) किशनगंज।	14.07.2011	---	---
10	श्री संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी	19.07.2011	29.07.2011	10.12.2011

सचिव, राजस्व पर्षद

	मा0प्र0से0 जिला पदाधिकारी, किशनगंज।			
11	श्री कँवल तनुज, मा0प्र0से0 अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज।	16.05.2013	30.05.2013	29.07.2013
12	श्री कँवल तनुज, मा0प्र0से0 अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज।	09.09.2013	14.09.2013	...
13	श्री आदित्य कुमार दास, मा0प्र0से0 जिला दण्डाधिकारी एवं समाहर्त्ता, किशनगंज।	09.09.2013	14.09.2013	16.12.2013

3. **प्रभार :–** श्री मो.शफीक, बि.प्र.से., अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज दिनांक 14.05.2015 को प्रभार ग्रहण करने के पश्चात अनुमंडल कार्यालय के संपूर्ण प्रभार में हैं तथा श्री नवीन कुमार सिन्हा कार्यपालक दण्डाधिकारी के रूप में अगस्त 2015 से कार्यरत है।

4. **स्थापना :–** श्री अनिल कुमार मंडल, प्रधान लिपिक, दिनांक 13.02.2014 से सामान्य प्रशाखा के प्रधान लिपिक के प्रभार में है। इसके पूर्व विनय कुमार सिंह प्रधान लिपिक के प्रभार में थे। दिनांक 23.07.2014 से श्री रजी अहमद अंसारी, लिपिक अनुमंडल नजारत के प्रभार में है। इसके पूर्व श्री पशुपति कुमार मंडल, लिपिक दिनांक 14.07.2013 से 22.07.2014 तक अनुमंडल नाजीर के प्रभार मे थे।

अनुमंडल कार्यालय, किशनगंज में कुल स्वीकृत कार्यरत, प्रतिनियुक्ति एवं रिक्तियों की विवरण निम्न प्रकार बताई गई–:

क्र.	सम्वर्ग	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्ति	प्रतिनियुक्ति
1	2	3	4	5	6
1	कार्यपालक दण्डाधिकारी	03	01	02	
2	सहायक जिला आपूर्ति पदाधिकारी	01	00	01	
3	प्र0आपूर्ति पदाधिकारी / आपूर्ति निरीक्षक	07	01	06	निलंबित
4	प्रधान लिपिक	02	01	01	
5	लिपिक	30	24	06	16 जिला के विभिन्न प्रशाखा में प्रतिनियुक्ति पर है।
6	आशुलिपिक	01	0	01	
7	द्वितीय राज भाषा उर्दू कर्मी	03	02	01	
8	कार्यालय परिचारी	26	20	06	11 जिला के विभिन्न प्रशाखा में प्रतिनियुक्ति पर है।
	कुल	73	49	24	27

अनुमंडल कर्यालय में कार्यरत प्रशाखाओं के बारे में पूछताछ किया गया। अनुमंडल कार्यालय में सात प्रशाखा होना चाहिए। अनुमंडल कार्यालय में कुल स्वीकृत पदों की संख्या 73 बताया गया जो गलत प्रतीत हुआ। स्वीकृत पदो के संबंध में पद स्वीकृति से संबंधित विभागीय पत्र की माँग की गई जो बाद में उपलब्ध करा दिया गया। उक्त स्वीकृतादेशों के अनुसार अनुमंडल कार्यालय, किशनगंज में स्वीकृत बल 45 है कार्यरत 41 है और रिक्ति 4 है।

5. **सेवापुस्त पंजी :–** इस कार्यालय में 47 कर्मचारी है। सभी का सेवापुस्त उपलब्ध है। सेवापुस्त का अवलोकन किया गया। सेवापुस्त का सत्यापन जून 2015 तक हो चुका है, परंतु अवकाश लेखा मार्च 2014 तक ही अद्यतन है। निदेश दिया गया कि सभी कर्मचारियों का अवकाश लेखा अद्यतन करा लें।

6. **कार्य–तालिका :–** सभी लिपिको का कार्य तालिका संधारित पाया गया। आवंटित कार्य तालिका के अनुसार सभी कर्मीगण कार्य करते हैं। कार्य तालिका सभी संबंधितों लिपिकों के कार्य स्थल पर सटा पाया गया।

7. **पत्राचार :–**

(क) प्राप्त पंजी :– प्राप्ति पंजी संधारित है। प्राप्ति पंजी का अवलोकन किया गया। प्राप्ति पंजी का सभी कॉलम यथा प्राप्त स्मारक, उत्तर की अथवा अन्य प्रकार से निष्पादन की संख्या एवं तिथि आदि कॉलम भरा हुआ नही पाया गया। निदेश दिया गया कि सभी कॉलम विधिवत भरा जाय और प्राप्ति पंजी का संधारण समुचित रूप से किया जाय।

(ख) निर्गत पंजी :– निर्गत पंजी संधारित है। निर्गत पंजी का अवलोकन किया गया। निर्गत पंजी का सभी कॉलम यथा निर्गत स्मारक पत्र, उत्तर टिकट का मूल्य आदि कॉलम भरा हुआ नहीं पाया गया। निदेश दिया गया कि सभी कॉलम विधिवत भरा जाय और निर्गत पंजी का संधारण समुचित रूप से किया जाय।

विगत दो वर्षो का प्राप्त एवं निर्गत पत्रों की संख्या निम्नवत् है :–

वर्ष	प्राप्त पत्रों की संख्या	निर्गत	
		साधारण	मुख्य
2014	269	3496	
2015	193	1264	
(दिनांक–08.012015 तक)	21	53	

(ग) मुख्य निर्गत पंजी :– वर्ष 2014 एवं 2015 के मुख्य निर्गत पंजी का अवलोकन किया गया जिसमें वर्ष 2014 एवं 2015 में निर्गत पत्रों की संख्या शून्य लिखा गया है। इससे स्पष्ट है कि मुख्य निर्गत पंजी का संधारण नहीं किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि नियमानुसार मुख्य निर्गत पंजी का संधारण सुनिश्चित किया जाय।

8. **अनुक्रमणी पंजी :–** पंजी संधारित है, जिसका अवलोकन किया गया। स्थापना से संबंधित पदाधिकारियों के स्थानांतरण/पदस्थापना की संचिका मंगाई गई। संचिका पर संचिका सं0 अंकित नहीं पाया गया। अनुकमणी पंजी पर अंकित विषय के अनुसार संचिका खोली जानी चाहिए, किन्तु इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

अनुकमण पंजी के अनुसार संचिका का संधारण नहीं किया गया है। विधि से संबंधित इन्डेक्स रजिस्टर में विभिन्न मुकदमों की मुकदमा संख्या का भी जिक्र किया गया है जो नियमानुसार नहीं है।

अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया है कि वे इस बात को सुनिश्चित करावें कि अनुक्रमणी पंजी में अंकित विषय के अनुसार ही नई संचिकाएँ खोली जाय एवं संचिका पर नियमानुसार संख्या अंकित किया जाय।

9. **प्रधान लिपिक नोट बुक :–**प्रधान लिपिक का नोट बुक संधारित है। महत्वपूर्ण पत्रों की प्रविष्टि सही ढंग से नही की जा रही है। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि प्रधान लिपिक नोट बुक का सही ढंग से संधारण कराया जाय।

10. **आकस्मिक अवकाश पंजी :–** आकस्मिक अवकाश पंजी संधारित है तथा आकस्मिक अवकाश पंजी कर्मचारीवार पृष्ठांकित है।

11 **सेवा पुस्त पंजी :-** सेवापुस्त पंजी संधारित है। इस पंजी में प्राप्त सेवापुस्त की प्रविष्टि एवं भेजे गये सेवापुस्त का ब्यौरा अंकित किया गया है।

12. **लोक सभा/विधान सभा प्रश्नोत्तर पंजी :-** यह पंजी अद्यतन संधारित है।

13. **रक्षी संचिकाएँ :-** विभिन्न विषयों से संबंधित रक्षी संचिका संधारित है। रक्षी संचिकाओं का अवलोकन किया गया। सभी रक्षी संचिकाएँ अद्यतन रूप से संधारित नहीं पाया गया। निदेश दिया गया कि सभी रक्षी संचिका को अद्यतन रूप से संधारित किया जाय।

14. **कार्यालय आदेश पंजी :-** यह पंजी संधारित है। आदेश जारी करने पर अनुपालन कराने की कार्रवाई की गई है।

15. **जनता दरबार :-** जनता दरबार/जन शिकायत का आवेदन के संबंध में निम्न प्रकार अलग-अलग पंजी का संधारण किया गया है :-

(क) मुख्यमंत्री जनता दरबार एवं विश्वास यात्रा।

(ख) जिला जनता दरबार।

माह दिसम्बर-2015 तक प्राप्त आवेदन पत्रों की अद्यतन स्थिति निम्न प्रतिवेदित की गई :-

कोषांग का नाम	प्राप्त आवेदन की संख्या	निष्पादित आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदनों की संख्या
मुख्यमंत्री जनता दरबार/विश्वास यात्रा	35	0	35
जिला जनता दरबार	189	6	183

मुख्यमंत्री जनता दरबार/विश्वास यात्रा के 35 आवेदन लंबित है, जो दुखद स्थिति है। इसे यथाशीघ्र निष्पादित कराने का निदेश दिया गया।

अनुमंडल पदाधिकारी को यह भी निदेशित किया गया कि आयुक्त जनता दरबार में प्राप्त मामले जो इस कार्यालय को पृष्ठांकित किए जाते है, उस पर विशेष ध्यान देकर कृत कार्रवाई प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।

16. **विपत्र बही :-** यह पंजी संधारित है तथा इसके सभी कॉलम वेतन विपत्र के अनुसार भरे जाते हैं।

17 **अंकेक्षण प्रतिवेदन पंजी :-** अंकेक्षण प्रतिवेदन पंजी अद्यतन संधारित है। महालेखाकार, बिहार का अंकेक्षण बहुत पूर्व हुआ है। अनुमंडल पदाधिकारी ने बताया कि 01 अंकेक्षण का अनुपालन आंशिक रूप से एवं 01 पूर्ण रूप से लंबित है, जिसपर कार्रवाई की जा रही है।

18. **प्रमाण-पत्र :-** अनुमंडल सामान्य प्रशाखा में निम्नलिखित प्रमाण-पत्र पंजी संधारित है। दिनांक-15.08.2011 से 08.01.2016 तक निर्गत प्रमाण-पत्रों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

प्रमाण- पत्र	प्राप्त मामलों की संख्या	निष्पादित मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या	लंबित रहने का कारण
1	2	3	4	5
जाति प्रमाण-पत्र	10339	10321	18	सभी लंबित आवेदन समय सीमा के अन्तर्गत निष्पादन किया जा रहा है।
आवासीय प्रमाण-पत्र	11643	11628	15	
आय प्रमाण-पत्र	2305	2301	04	
राशन कार्ड	13	13	0	

जाति/आवासीय/आय प्रमाण पत्र प्रति हस्ताक्षर के लिए अनुमंडल कार्यालय में समर्पित किए जाते हैं। अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि लंबित मामलों का ससमय निष्पादित कर लिया जाय।

19. **सूचना का अधिकार** :– सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित पंजी एवं संचिका संधारित है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्ष 2015 में कुल 149 मामले प्राप्त हुए, जिसमें से 137 मामले का निष्पादन करा लिया गया है। शेष लंबित मामलों में निष्पादन की कार्रवाई की जा रही है।

प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या	लंबित आवेदन पत्रों की संख्या
149	137	12

यहाँ अधिकतर अपील का मामला आता है। इस कार्यालय के लोक सूचना पदाधिकारी अनुमंडल पदाधिकारी स्वयं है। निदेश दिया गया कि सूचना के अधिकार के तहत प्राप्त अपील अभ्यावेदनों पर नियमानुसार दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई कर मामलों का निष्पादन निर्धारित समयावधि के भीतर सुनिश्चित किया जाय।

20 **सामाजिक सुरक्षा कोषांग** :– सामाजिक सुरक्षा में निष्पादित होने वाले कार्यों का अद्यतन स्थिति निम्नप्रकार प्रतिवेदित किया गया :–

(क) RTPS के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन (दिनांक–15.08.2011 से 08.01.2016 तक)

क्र0	सेवा का नाम	प्राप्त मामलों की संख्या	निष्पादित मामलों की संख्या	लंबित मामलों की संख्या	लंबित रहने का कारण	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7
1	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन	5225	5210	15	सभी लंबित आवेदन समय–सीमा अन्तर्गत है। निष्पादन किया जा रहा है।	
2	इन्दिरा गाँधी रा0 वृद्धावस्था पेंशन योजना	92440	92250	190		
3	इन्दिरा गाँधी रा0 विधवा पेंशन योजना	20122	20096	26		
4	पारिवारिक लाभ	610	610	0		

बताया गया कि अस्वीकृत आवेदन पत्रों की पुनः जाँच की जा रही है। निर्गत पी0पी0ओ0 का तामिला स्वीकृत पेंशनधारियों को सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के माध्यम से कराया जा रहा है।

इंदिरा गाँधी रा0 वृद्धावस्था पेंशन योजना में 92,250 स्वीकृत मामले दिखाए जा रहे हैं। इतने अधिक मामले नहीं होना चाहिए। निदेश दिया गया कि इन स्वीकृत मामलों की समीक्षा/जाँच कर सुस्पष्ट प्रतिवेदन अविलंब उपलब्ध कराया जाय।

21. **नीलाम–पत्र** :– अनमुंडल कार्यालय में नीलाम पत्र वादों की स्थिति निम्न प्रकार प्रतिवेदित की गई :–

01.04.2015 कुल वादो की संख्या		2015–16 में प्राप्त वाद		कुल वाद		कुल निष्पादित वाद		लंबित वादों की संख्या	
संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	9614779.53	00	00	85	614779.53	17	4937668.00	32	2593583.53

बताया गया कि 36 अभिलेख जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी, किशनगंज को पत्रांक–881/दिनांक–18.08.2015 के द्वारा लौटाया गया। जिसमें सन्निहित राशि मो0 2083528.00 रुपये है।

नीलाम पत्र वाद के 32 मामले लंबित बताए गए। ये मामले बैंक, परिवहन, सैरात एवं अग्रिम से संबंधित है। निदेश दिया गया कि इन मामलों के निष्पादन हेतु नियमानुसार त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

22. **भूमि सम्परिवर्त्तन**:– बिहार कृषि भूमि (गैर कृषि प्रयोजन के लिए सम्परिवर्त्तन) अधिनियम 2010 के अन्तर्गत भूमि सम्परिवर्त्तन की कार्रवाई की गयी विवरणी अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा निम्न प्रकार प्रतिवेदित की गई:–

क्र	संधारित अभिलेख	वर्ष–2011–12 में वसूली की गई राशि	वर्ष –2012–13 में वसूली की गई राशि	वर्ष –2013–14 में वसूली की गई राशि	वर्ष –2014–15 में वसूली की गई राशि	वर्ष –2015–16 में वसूली की गई राशि	कुल वसूली की राशि	निष्पादि वादों [illegible] संख्या
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	221	255108.00	1078997.00	2252824.00	1142677.00	298649.00	5028255.00	59

23. अनुमंडल विधि प्रशाखा, किशनगंज

1. **प्रभार** :– अनुमंडल न्यायालय के पूर्ण प्रभार में अनुमंडल दण्डाधिकारी, किशनगंज हैं। श्री नवीन कुमार सिन्हा, कार्यपालक दण्डाधिकारी अवर प्रभार में है।
2. **उपस्थापक** :– अनुमंडल दंडाधिकारी के न्यायालय के उपस्थापक के रूप में श्री राजानन्द सिह उ.व.लि. है। वरीय प्रभार में श्री अनिल कुमार मंडल प्रधान लिपिक हैं। इसके अतिरिक्त कार्यपालक दंडाधिकारी के उपस्थापक मो0 नौसाद आलम, उ0व0लिपिक है।
3. **कार्यवाही पंजी** :– यह पंजी संधारित है। वर्ष–2015 में **909** एवं दिनांक–08.01.2015 तक **17** मामलों का संधारण पंजी में किया गया है।
4. **कोर्ट डायरी** :– यह पंजी संधारित है। कार्य दिवस के अनुसार अभिलेख का उपस्थापन कोर्ट डायरी के माध्यम से किया जाता है।
5. **विविध आवेदन पत्र पंजी** :– यह पंजी संधारित है। वर्ष–2015 में **1683** दिनांक–08.01.2016 तक कुल–**26** आवेदन पत्र पंजीकृत किया गया है।
6. **यू.डी. पंजी** :– यह पंजी संधारित है। विभिन्न थानों से प्राप्त यू.डी. प्रतिवेदन पंजी में अंकित किया गया है।
7. **निर्गत पंजी** :– न्यायालय में निर्गत पंजी अलग से संधारित है। वर्ष–2015 में **1617** एवं दिनांक–08.01.2016 तक कुल **35** पत्र निर्गत किया गया है।
8. **गृह नियंत्रण आदेश पंजी** :– पंजी का अवलोकन किया गया। यह पंजी संधारित है तथा अद्यतन प्रविष्टि अंकित है।
9. **रक्षी संचिका** :– न्यायालय में महत्वपूर्ण पत्र से संबंधित रक्षी संचिका संधारित है ।

अनुमंडलीय न्यायालय में चल रहे वादो की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	विभिन्न धारा	चल रहे वादो की संख्या
1	107	939
2	109	20
3	144	12
4	145	59
5	133	03
6	147	13
7	110	03
8	188	15
9	धारा 48 बी.टी. एक्ट अपीलवाद	88

अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा अनुमंडलीय न्यायालय में चल रहे वादों के निष्पादित की स्थिति निम्न प्रकार प्रतिवेदित किया गया :–

वर्ष	निष्पादित मामलों की संख्या	अभ्युक्ति
2015	673	
जनवरी 08.01.2016 तक	40	

10. **CWJC / MJC पंजी** :– CWJC / MJC पंजी अद्यतन संधारित है।

(क) वर्ष 2015 से अद्यतन कुल 7 मामले माननीय उच्च न्यायालय में दायर किया गया है, जिसमें से 5 (पॉच) मामलों में प्रतिशपथ–पत्र दायर किया जा चुका है। शेष में कार्रवाई की जा रही है।

(ख) अनुमंडल न्यायालय से संबंधित MJC का मामला प्राप्त नहीं है।

अनुमंडल पदाधिकारी को निदेशित किया गया कि अनुमंडलीय न्यायालय में चल रहे वादों में निर्धारित तिथियों को सुनवाई कर नियमानुकूल वादों का निष्पादन सुनिश्चित किया जाय।

24 अनुमंडल नजारत, किशनगंज

1. **प्रभार :–** अनुमंडल नजारत के पूर्ण प्रभार में श्री ऐलन अरविन्द्र डीन, अवर निर्वाचन पदाधिकारी, किशनगंज हैं। इनके पूर्व अनुमंडल नजारत के प्रभार में श्री कँवल तनुज भा0प्र0से0 अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज थे। श्री रजी अहमद अंसारी, उ.व.लि. दिनांक–23.07.2014 से अनुमंडल नाजिर के पद पर कार्यरत है।

2. **रोकड़ पंजी :–** रोकड़ पंजी का अवलोकन किया गया। अनुमंडल नजारत में सभी शीर्षों का एक पूरक रोकड़ पंजी अलग–अलग एवं एक सामान्य रोकड़ पंजी संधारित है।

दिनांक– **08.01.2016** तक निम्नांकित रोकड़ पंजियों का अंतशेष विवरणी निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	शीर्ष	राशि
1	2053–अनुमंडल स्थापना	Nil
2	2029– भू0 रा0	117906.12
3	2235– सामाजिक सुरक्षा	650000.00
4	3454– जनगणना	Nil
5	2230– श्रम नियोजन	Nil
6	2245– प्राकृतिक आपदा	41560.00
7	2515– पंचायत	Nil
8	2505– ग्रामीण विकास	124819.19
9	3456– आपूर्ति	62840.00
10	2015– निर्वाचन	1428459.28
11	2055– ग्रामीण पुलिस	408026.00
12	नगरपालिका	Nil
13	अधिसूचित क्षेत्र	Nil
14	विविध	2957751.63
15	2071– पेंशन	Nil
16	स्थायी अग्रिम	500.00
17	विधान सभा निर्वाचन–2015 SDO	50000.00
18	विधान सभा निर्वाचन–2015 LRDC	50000.00
	कुल :–	**6953662.22**

सामान्य रोकड़ पंजी का कैश विवरणी दिनांक– 08.01.2016

क्रमांक	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1	भारतीय स्टेट बैंक, किशनगंज	11239900792	874151.67
2	भारतीय स्टेट बैंक, किशनगंज	11239901672	421968.00
3	भारतीय स्टेट बैंक, किशनगंज	11239905600	21626.88
4	भारतीय स्टेट बैंक, किशनगंज	11239905611	31909.40
5	कोशी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, किशनगंज बाजार	एन.सी.डी.–78	494928.64
6	युनियन बैंक ऑफ इंडिया	603202010000060	2052558.00
7	सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया	3185831294	102946.00
8	बैंक ऑफ इंडिया	46381011 / 0006347	2218.00
9	डाकघर, किशनगंज	427531	2307.95

10	निर्वाचन अग्रिम		10700.00
11	पंचायत निर्वाचन अग्रिम		24280.00
12	सामान्य अग्रिम		802455.40
13	अभिश्रव		2096492.30
14	नगद राशि		15119.98
		योग :–	6953662.22

शीर्ष विविध में अंतशेष 2957751.63 रू0 दिखाया जा रहा है। निदेश दिया गया कि इसके सब्सेडेयरी कैश बुक में जितनी राशि अंतशेष के रूप में दिखायी जा रही है उसका सत्यापन एवं विस्तृत जाँच निश्चित रूप से की जाय। जितनी भी राशि को चालान के माध्यम से कोषागार में जमा किया जा सकता है उसे निश्चित रूप से चालान के माध्यम से कोषागार में जमा कर दें और अन्य के संबंध में जिस मद में राशि प्राप्त है, उस मद के लिए प्राप्त दिशा–निर्देश के अनुरूप आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

विविध मद में जो राशि दिखाई जा रही है उसका ब्रेक–अप भी तैयार नहीं किया गया है। इसमें ब्याज की भी राशि शामिल है। अतएव इसका ब्रेक–अप भी अविलम्ब तैयार करा लिया जाय ताकि सत्यापन एवं विस्तृत जाँच में सुविधा हो सके।

सामान्य अग्रिम के रूप में 8,02,455.40 रूपये है। जिन लोगों के पास अग्रिम है उसकी सूची बनाई गई है जिसका अवलोकन किया गया। अग्रिम की वसूली हेतु नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया। बताया गया कि कुछ लोगों का पता मालूम नहीं हो रहा है। इस संबंध में निदेश दिया गया कि अग्रिम पंजी एवं अन्य संगत अभिलेख/संचिकाओं को खोजकर उन्हें राशि सामंजित/वसूली हेतु नोटिस निर्गत करें। अग्रिम प्राप्त किए गए कर्मचारियों में से कुछ सेवानिवृत भी हो गए होंगे, अतएव ऐसे कर्मचारियों का पता सेवापुस्त एवं अन्य अभिलेखों से प्राप्त कर उन्हें भी राशि वसूली हेतु नोटिस निर्गत किया जाय।

अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज द्वारा अपने अधीनस्थ प्रखंड/अंचल कार्यालयों का निरीक्षण नही किया गया है। यह गंभीर बात है। उन्हें निदेशित किया गया कि वे नियमित रूप से अधीनस्थ प्रखंड/अंचल कार्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन दें एवं अनुपालन की स्थिति का अनुश्रवण करें।

अनुमंडल पदाधिकारी से विधि व्यवस्था के संदर्भ में विविध जानकारी प्राप्त की गई। उन्हें निदेशित किया गया कि बिहार विधानसभा के आम निर्वाचन के दौरान जिन लोगों पर धारा 107 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, और उन्होंने कोई उपद्रव नही किया है या शांति व्यवस्था भंग नहीं किया है, उनके विरूद्व मामले को खत्म कर दिया जाय एवं एतद् संबंधी विस्तृत प्रतिवेदन अविलम्ब समर्पित किया जाय।

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का कार्यालय, किशनगंज

01. **भवन** :: भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज को अपना भवन नही है। वर्तमान समय में सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा निर्मित भवन में कार्यालय कार्य सम्पादित किया जा रहा है। स्थानाभाव के कारण न्यायालय संचालन में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। राजस्व विभागीय पत्रांक 438/रा. दिनांक 25.05.2011 के आलोक में न्यायालय कक्ष निर्माण हेतु भूमि की उपलब्धता संबंधी प्रतिवेदन अपर समाहर्त्ता, किशनगंज के माध्यम से विभाग को भेजी गई है।

02. **निरीक्षण** :: विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, कार्यालय, किशनगंज का किये गये निरीक्षण का ब्यौरा निम्नवत है :–

कमांक	निरीक्षी पदाधिकारी का पदनाम	निरीक्षण की तिथि	निरीक्षण टिप्पणी प्राप्त होने की तिथि	अनुपालन भेजने की तिथि
1	2	3	4	5
01	श्री एस.सी.विश्वास, भा.प्र.से. प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ।	26.02.1994	07.04.1994	31.01.2006
02	श्री दिलमोहन पासवान,	31.05.2005	23.06.2005	31.12.2005

	अपर समाहर्त्ता, किशनगंज			
03	श्री दयानन्द प्रसाद, भा.प्र.से. समाहर्त्ता–सह– जिला पदाधिकारी,	15.07.2006	20.07.2006	21.06.2007
04	श्री हाशिम उद्धीन, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज	16.03.2008	16.03.2008	12.07.2006
05	श्री ब्रज किशोर सहनी, अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज	27.11.2008	21.12.2008	12.07.2006
06	श्री सियाराम सिंह, अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज	16.12.2010	03.01.2011	13.06.2011
07	श्री कँवल तनुज, भा.प्र.से. अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज	13.05.2013	20.05.2013	27.05.2014

03. **प्रभार ::** श्री नीरज कुमार दास, बि.प्र.से. दिनांक 12.08.2015 से भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज के रूप में पदस्थापित है। श्री दास के पूर्व श्री मनीष कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज दिनांक 22.06. 2015 से 12.08.2015 पूर्वाहन् तक तथा इसके पूर्व मो0 शफीक, बि.प्र.से. भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज के पद पर दिनांक 28.02.2014 से 22.06.2015 के अपराहन् तक पदस्थापित रहे है।

04. **प्रधान लिपिक ::** श्री दिलीप कुमार, प्रधान लिपिक दिनांक 02.09.2013 से पदस्थापित है। इसके पूर्व श्री अनिल कुमार मंडल, प्रधान लिपिक दिनांक 30.09.2013 तक प्रभार में थे।

05. **स्थापना ::**कर्मियों की स्थिति निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	पद	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	रिक्त	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6
01	भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज	01	01	शून्य	
02	प्रधान लिपिक	01	01	शून्य	
03	आशुलिपिक	01	—	01	
04	लिपिक	04	01	03	श्री रविन्द्र कुमार झा, लिपिक ग्रामीण विकास विभाग, बिहार पटना में प्रतिनियुक्त।
05	जीप चालक	01	01	शून्य	
06	कार्यालय परिचारी	03	03	0	श्री सरोज कुमार यादव, कार्यालय परिचारी, जिला नजारत, किशनगंज एवं श्रीमति दीपा कुमारी साहा, कार्यालय परिचारी, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, किशनगंज में प्रतिनियुक्त।

स्वीकृत बल से कार्यरत बल कम रहने के कारण कार्यालय एवं न्यायालय कार्य ससमय नि पादन प्रभावित रहता है। वर्तमान समय में अनुमंडल कार्यालय से श्री हजारी प्रसाद, उच्च वर्गीय लिपिक, श्री कुमार आनन्द किशोर, उच्च वर्गीय लिपिक, श्री ब्रहम देव मंडल, लिपिक एवं मो0 फारूक, लिपिक प्रतिनियुक्ति पर रहकर कार्य सम्पादित करते है।

सेवापुस्त :: सभी कर्मियों का सेवापुस्त पंजी संधारित है तथा दिनांक 31.12.2015 तक सत्यापित किया गया है। सेवापुस्त पंजी विधिवत्त संधारित भी गयी है।

06. **सेवान्त लाभ :–** भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा बताया गया कि सेवान्त लाभ का एक मामला लंबित है, जो श्री शशि कुमार तिवारी, सेवानिवृत अनुसेवक से संबंधित है। श्री तिवारी के आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना में पूर्व में पदस्थापित रहने के फलस्वरूप भविष्य निधि कटौति विवरणी अप्राप्त है। जिसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार पटना से पत्राचार किया गया है। कटौती विवरणी प्राप्त होते ही श्री तिवारी

को देय दावे का निष्पादन साथ–साथ कर दिया जायेगा। सामान्य भविष्य निधि के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के सेवान्त लाभ का भुगतान पूर्व में ही किया जा चुका है।

07. **अनुक्रमणी पंजी** :– अनुक्रमणी पंजी संधारित है।

08. **कर्त्तव्य तालिका** :– सभी कर्मियों का कर्त्तव्य तालिका विनिर्दिष्ट स्थल पर प्रदर्शित पाया गया।

09. **कर्मपुस्तिका** :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि सभी कर्मियों का कर्म पुस्तिका संधारित है।

10. **प्रधान लिपिक का नोट बुक** :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि प्रधान लिपिक का नोट बुक संधारित है।

11. **पत्राचार** :–इस कार्यालय में विगत तीन वर्षो के पत्राचार का आंकड़ा निम्न प्रकार प्रतिवेदित किया गया ::–

प्राप्त पत्रों का ब्यौरा				
क्रमांक	वर्ष	साधारण	मुख्य	कुल
1	2	3	4	5
01	2012	736	—	736
02	2013	1030	—	1030
03	2014	1542	—	1542
04	2015	1716	—	1716
निर्गत पत्रों का ब्यौरा				
क्रमांक	वर्ष	साधारण	मुख्य	कुल
1	2	3	4	5
01	2012	2315	—	2315
02	2013	2464	—	2464
03	2014	2307	—	2307
04	2015	2100	—	2100

12. **लगान वसूली**:– विगत तीन वर्षों से माँग के विरुद्ध वसूली निम्न प्रकार प्रतिवेदित किया गया:–

क्रमांक	वर्ष	माँग	वसूली	प्रतिशत
1	2011-2012	21022398.44	19090483.20	90.81%
2	2012-2013	35074772.00	15638065.00	44.58%
3	2013-2014	42832268.00	32768795.00	76.50%
4	2014-2015	19388993.50	18265382.00	94.20%
5	2015.2016 (Dec.15) Old Demand	9717845.85	6061145.00	62.37%
6	2015-2016 (Dec.15) New Demand	69366225.00		8.74%

13. **सैरात** :– किशनगंज जिलान्तर्गत कुल 227 सैरात अवस्थित है। जिसका विवरण निम्नवत है :–

क्रमांक	कार्यालय का नाम	कुल सैरातों की सख्या	बन्दोबस्त सैरातों की संख्या	लंबित सैरातों की संख्या
1	2	3	4	5
01	जिला स्तर	39	0	39

02	अनुमंडल स्तर	41	22	19
03	अंचल स्तर	112	76	36
04	परता सैरात	35	0	35
	कुल ::	**227**	**98**	**129**

अनुमंडल स्तरीय अवशेष 22 (बाईस) सैरातों की विभागीय वसूली हेतु संबंधित अंचलों को कार्यालय के पत्रांक 1083./अनु.रा. दिनांक 19.06.2015 से पत्र निर्गत है। विगत तीन वर्षों का मांग एवं वसूली का विवरण निम्न प्रकार है :–

क्रमांक	वर्ष	माँग (सुरक्षित जमा निर्धारित राशि के अनुसार)	बन्दोबस्त राशि	प्रतिशत
1	2012-2013	5925228.00	7298354.00	123.17%
2	2013-2014	7167731.00	9205611.00	128.43%
3	2014-15	5755173.00	715557.00	41.18%
4	2015-2016	5755173.00	1428548.00	82.21%
	Total ::	24603305.00	18648070.00	

अनुमंडल स्तरीय अवशेष 19 सैरातों की विभागीय वसूली हेतु भेजी गई सैरातों की विवरणी निम्नवत् है :–

क्रमांक	अंचल का नाम	अनुमंडल सैरातों की संख्या	अभ्युक्ति
1	2	3	4
01	किशनगंज	03	
02	कोचाधामन	03	
03	बहादुरगंज	02	
04	दिघलबैंक	01	
05	ठाकुरगंज	05	
06	पोठिया	04	
07	टेढ़ागाछ	01	
	कुल योग ::	19	

सैरात जिनमें विभागीय वसूली हो रही है में वसूली की गई राशि की विवरणी उपलब्ध नहीं कराया गया। निदेश दिया गया कि विभागीय वसूली के सैरातों की अविलम्ब समीक्षा कर ली जाय तथा यह सुनिश्चित किया जाय कि राशि की वसूली किसी भी परिस्थिति में सुरक्षित जमा की राशि से कम न हो।

14 भू–**बन्दोबस्ती** :–गैर मजरूआ मालिक भूमि एवं उसका वितरण की अद्यतन स्थिति निम्नवत प्रतिवेदित की गई :–

कुल सर्वेक्षित रकवा	अयोग्य भूमि	वितरित भूमि	लाभुकों की संख्या	अवितरित अयोग्य भूमि का रकवा
1	2	3	4	5
48635.30 एकड़	16369.84 एकड़	31824.63.8 एकड़	22141	429.44.2 एकड़

कोटिवार लाभान्वितों की संख्या निम्नवत है :–

क्रमांक	श्रेणी	संख्या	रकवा (एकड़ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
01	अनुसूचित जाति	8144	9766.10	
02	अनुसूचित जन जाति	6337	8988.27	
03	पिछड़ा वर्ग	2848	5434.55.5	
04	अन्य	4703	7386.61	
05	सैनिक	109	250.03	
	कुल ::	22141	31824.63.8	

बताया गया कि वर्तमान में विभिन्न अंचलों से योग्य भूमि को सुयोग्य श्रेणी के बीच वितरण करने हेतु प्रस्ताव की मांग की गई है।

निदेशित किया गया कि आवासीय प्रयोजन से सरकारी भूमि का सर्वे कराया गया है अथवा नहीं? कितनी भूमि बची हुई है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है ? इस संबंध में पूर्ण प्रतिवेदन अविलंब समर्पित किया जाय।

15. **गैर मजरूआ आम भूमि एवं वितरण**— इससे संबंधित विवरणी निम्न प्रकार बताई गई :-

कुल सर्वेक्षित रकवा	अयोग्य भूमि	वितरित भूमि	लाभूकों की संख्या	अवितरित रकवा
1	2	3	4	5
28487.05	20340.07	331.30	842	7815.68

कोटिवार लाभान्वितों की संख्या निम्नवत है :-

क्रमांक	श्रेणी	संख्या	रकवा (एकड़ में)	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
01	अनुसूचित जाति	430	36.95	
02	अनुसूचित जन जाति	11	3.47	
03	पिछड़ा वर्ग	183	132.63.5	
04	अन्य	218	158.24.5	
05	सैनिक	0	0	
	कुल ::	842	331.30	

16. **भू–हदबन्दी** ::

कुल अर्जित अधिशेष भूमि	कुल वितरित भूमि	अवशेष	श्रेणी	लाभूकों की संख्या	वितरित भूमि
1	2	3	4	5	6
18427.55.63.5	17952.75	474.81	अनुसूचित जाति	1871	1750.11
			अनुसूचित जन जाति	1147	3181.13
			पिछड़ा वर्ग	3940	4609.36
			अन्य	8250	8412.15
			कुल योग ::	15208	17952.75

भू–हदबंदी के कितने मामले लंबित है इस संबंध में कोई स्पष्ट उत्तर नहीं दिया गया। भू–हदबंदी के मामले में धारा 151 के तहत कितने मामलों में नोटिफिकेशन निकालना है और उसमें कितने लंबित है। इस संबंध में भी कोई संतोषप्रद उत्तर नही दिया गया। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेशित किया गया कि इन मामलों की समीक्षा कर एक प्रतिवेदन अविलम्ब उपलब्ध करावेंगे।

17. **धारा – 48 (ई) बी.टी. एक्ट** :- भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 31.12.2015 तक कुल लंबित मामले की संख्या 50 है। जिसमें से 30 मामले समझौता बोर्ड के समक्ष लंबित है। शेष 20 मामले सुनवाई पर हैं।

निदेशित किया गया कि लंबित मामलों में नियमानुसार सुनवाई कर नियमों के आलोक में यथाशीघ्र आदेश पारित किया जाय।

18. **धारा — 16 (3) भू—हदबन्दी अधिनियम** :— प्रतिवेदित किया गया कि दिनांक 31.12.2015 तक कुल 14 मामले लंबित है। जो सुनवाई के अधीन है। वर्षवार विवरण निम्नवत है :—

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कुल दायर वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या	कुल लंबित वादों की संख्या
1	2	3	4	5
01	2012-13	09	07	02
02	2013-14	06	01	05
03	2014-15	06	0	06
04	2015-16	01	0	01
	Total ::	22	8	14

19. **नामान्तरण अपील वाद** :— भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा सूचित किया कि दिनांक 31.12.2015 तक कुल 106 मामले लंबित है। जो सुनवाई के अधीन है। वर्षवार विवरणी निम्नवत् है :—

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कुल दायर मामलों की संख्या	कुल निष्पादित मामलों की संख्या	कुल लंबित मामलों की संख्या
01	2012-13	38	30	08
02	2013-14	44	21	23
03	2014-15	37	06	31
04	2015-16	44	0	44
	कुल योग ::	163	57	106

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता से उनके कर्त्तव्यों के बारे में पूछा गया। उनके द्वारा बताया कि बी0एल0डी0आर0 कोर्ट, बी0टी0 एक्ट 48 में करते हैं, तथा रैयती भूमि का लगान निर्धारित करते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि नामान्तरण अपील के निष्पादन में एल0सी0आर0 देखते हैं, लीगल डोकुमेंट देखते हैं। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को नियमों/अधिनियमों की पूर्ण जानकारी नहीं है।

उन्हें निदेशित किया गया कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग से निर्गत प्रमुख नियमों/अधिनियमों की पूर्ण जानकारी प्राप्त कर लें। निदेश दिया गया कि Possession को म्यूटेशन के निष्पादन के समय निश्चित रूप से देखा जाय तथा बंटवारे का कागजात भी देखा जाय। यह भी निदेश दिया गया कि धारा 16(3) से संबंधित मामलों में स्थल जाँच अवश्य किया जाय। यहाँ नामान्तरण अपीलवाद काफी संख्या में लंबित है अतएव नियमानुसार अविलम्ब इन्हें निष्पादित किया जाय।

20. **भूमि विवाद निराकरण अधिनियम 2009 के अन्तर्गत वाद** :— दिनांक 31.12.2015 तक भूमि विवाद मामले के अन्तर्गत दायर वादों की विवरणी वर्षवार निम्नवत है :—

क्रमांक	वित्तीय वर्ष	कुल दायर वादों की संख्या	कुल निष्पादित वादों की संख्या	कुल लंबित वादों की संख्या
1	2	3	4	5
01	2012-13	213	213	0
02	2013-14	132	131	01
03	2014-15	87	74	13
04	2015-16	13	04	09
	Total :-	**445**	**422**	**23**

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को निदेश दिया गया कि बी0एल0डी0आर0 में fresh ~~सुनिश्चित~~ नहीं करना है। धारा 4(5) mandatory है, decided right को ही possession दिलाना है। right के निर्धारण

21. **भूदान** :– भूमि सुधार उप समाहर्त्ता द्वारा सूचित किया गया कि किशनगंज अनुमंडल अन्तर्गत भूदान से प्राप्त कुल भूमि 15634.92 एकड़ में से 10436.15 एकड़ भूमि सम्पुष्ट है। जिसमें से 5344 लाभार्थियों के बीच 6241.83 एकड़ रकवा का पर्चा वितरित कर दिया गया है।

22. **नीलाम पत्र** :– भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता कार्यालय के अन्तर्गत कुल 56 (छप्पन) नीलाम पत्र वाद संचालित की जा रही है। जिसमें कुल मो0 3687433.68 रूपये सन्निहित है। इसके विरूद्ध कुल 13 (तेरह) वादों का निष्पादन किया गया है। जिसमें कुल मो0 871277.75 रूपये की वसूली की गई है। शेष 43 (तेतालीस) वादों में संबंधित ऋणधारी के विरूद्ध गिरफ्तारी वारंट निर्गत की गई है। विभागवार नीलाम पत्र वादो का विवरण निम्नवत् प्रतिवेदित किया गया :–

क्रमांक	विभाग / शाखा का नाम	कुल दायर वादों की संख्या	निष्पादित वादों की सख्या	कुल लंबित वादो की संख्या
01	जिला परिवहन पदाधिकारी , किशनगंज	29	05	24
02	शाखा प्रबंधक, भूमि विकास बैक, किशनगंज	14	03	11
03	शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैक, जिलिबियामोड़,ठाकुरगंज	01	0	01
04	शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, ताराबाड़ी	03	02	01
05	शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, किशनगंज	02	0	02
06	शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैक, पश्चिमपाली, किशनगंज	04	03	01
07	शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैक, महादेवदिधी, बहादुरगंज	01	0	01
08	शाखा प्रबंधक, सेन्ट्रल बैक, बहादुरगंज	02	0	02
	कुल योग ::	**56**	**13**	**43**

निदेश दिया गया कि नीलाम पत्र वाद के लंबित वादों में प्राथमिकता के आधार पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाय।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा बताया गया कि किशनगंज जिलान्तर्गत सभी अंचलों में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त निदेशानुसार ऑपरेशन दखल देहानी, अभियान बसेरा एवं राजस्व शिविरों को आयोजन किया जा रहा है

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज द्वारा एक भी अंचल कार्यालय का निरीक्षण नहीं किया गया है। यह गंभीर स्थिति है। अंचल कार्यालय, अंचल निरीक्षक कार्यालय एवं हल्का कार्यालय का निरीक्षण करना भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का अति महत्त्वपूर्ण कार्य है। अतएव उन्हें बराबर इन कार्यालयों का निरीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन समर्पित करने एवं अनुपालन की स्थिति से अवगत कराने का निदेश दिया गया, ताकि अंचल कार्यालयों में कार्य संस्कृति बनी रहे।

निष्कर्षः— निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि निरीक्षण कार्यक्रम निर्धारित करने के पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा जल्दबाजी में निरीक्षण की तैयारी की गई है।

अनुमंडल कार्यालय का कार्यकलाप पूर्णतः संतोषजनक नहीं कहा जा सकता है। पत्र प्राप्ति पंजी एवं निर्गत पंजी का संधारण भली भांति नहीं किया जा रहा है। अनुक्रमणी पंजी के अनुसार संचिकाओं का संधारण नहीं किया जा रहा है। जनता दरबार से संबंधित मामलों का पूर्ण निष्पादन भी लंबित है। रोकड़ बही के विविध मद में उनतीस लाख से अधिक राशि पड़ी हुई है। सामान्य अग्रिम एवं अभिश्रव के रूप में भी काफी राशि पड़ी हुई है, जिसका सामंजन अभी तक नही हुआ है। भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज के न्यायालय में भी बहुत सारे वाद लंबित है।

अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज व्यक्तिगत ध्यान देकर इन मामलों का निष्पादन करावें तथा निरीक्षण टिप्पणी में दिए गए निदेशों का अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

4.3.2016

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 1092 / दिनांक 04-3-16

प्रतिलिपिः— अनुमंडल पदाधिकारी, किशनगंज / भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, किशनगंज / अपर समाहर्त्ता, किशनगंज एवं जिला पदाधिकारी, किशनगंज को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

4.3.2016

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 1092 / दिनांक 04-3-16

प्रतिलिपिः—
1 प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।
2 प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4.3.2016

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

ज्ञापांक 1092 / दिनांक 04-3-16

प्रतिलिपिः—
1 मुख्य सचिव, बिहार, पटना की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2 अध्यक्ष—सह—सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

4.3.2016

आयुक्त,
पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ।

O/C